

प्रकरण सं० ५२५/१८ अनवान कमला देवी / राधेश्याम

Continuation Note Sheet

22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल वाद की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। मूल वाद की कार्यवाही स्थगित होने से इस प्रकरण में भी कार्यवाही स्थगित की जाती है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद संख्या 103/2018 अनवान कमला देवी बनाम राधेश्याम रहे।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीगंगानगर